न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

विजयकुमार बनाम तहसीलदार धोद

मु.नं. 395 वर्ष 2025

किस्म मुकदमा 136 LR

दिनांक	आज्ञा - पत्र
19.09.25	प्रार्थी विजय कुमार पुत्र हरदेव प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पेवा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम पेवा पटवार हल्का पेवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 198, 31, 32, 58, 59 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि विजेन्द्रकुमार पुत्र हरदेवाराम दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्टि विजय कुमार पुत्र हरदेव प्रसाद शर्मा है। प्रार्थी के नाम से बने आधार कार्ड व ड्राईविंग लाईसेंस की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि विजय कुमार पुत्र हरदेव प्रसाद शर्मा अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि विजेन्द्रकुमार पुत्र हरदेवाराम के स्थान पर विजय कुमार पुत्र हरदेव प्रसाद शर्मा दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1327 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम पेवा पटवार हल्का पेवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 198, 31, 32, 58, 59 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि विजेन्द्रकुमार पुत्र हरदेवाराम के स्थान पर विजय कुमार पुत्र हरदेव प्रसाद शर्मा दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1327 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल[illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra

Date: 2025.10.08 16:04:53 IST

Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner